

ईसीजीसी लिमिटेड

गैर-जीवन कंपनियों के लिए अनुपात के संबंध में सूचना
फॉर्म एनएल-30 विश्लेषणात्मक अनुपात

क्रम संख्या	विवरण	जून 2021 की तिमाही हेतु	जून 2021 की तिमाही तक	जून 2020 की तिमाही हेतु	जून 2020 की तिमाही तक
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (%)	13.43%	13.43%	-34.11%	-34.11%
2	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से निवल मूल्य अनुपात (गुना)	0.03	0.03	0.03	0.03
3	निवल मूल्य की वृद्धि दर (%)	15.42%	15.42%	19.21%	19.21%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%)	74.02%	74.02%	70.16%	70.16%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात (%)	-3.19%	-3.19%	-4.20%	-4.20%
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (%) के प्रबंधन के खर्च	30.40%	30.40%	26.76%	26.76%
7	शुद्ध लिखित प्रीमियम अनुपात (%) के प्रबंधन के खर्च	41.07%	41.07%	38.15%	38.15%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम का शुद्ध दावा (%)	306.00%	306.00%	243.03%	243.03%
9	संयुक्त अनुपात (%)	343.42%	343.42%	276.44%	276.44%
10	शुद्ध प्रीमियम अनुपात के लिए तकनीकी प्रावधान (गुना)	55.45	55.45	61.93	61.93
11	हामीदारी शेष अनुपात (%)	-163.41%	-163.41%	-121.59%	-121.59%
12	परिचालन लाभ अनुपात (%)	-56.34%	-56.34%	-35.36%	-35.36%
13	चल संपत्ति से देनदारियों का अनुपात (बीमाकर्ता की चल संपत्ति को पॉलिसी धारकों की देनदारियों से विभाजित किया जाता है) (गुना)	0.37	0.37	0.35	0.35
14	शुद्ध आय अनुपात (%)	26.98%	26.98%	27.88%	27.88%
15	निवल मूल्य पर वापसी (%)	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%
16	उपलब्ध शोधन-क्षमता से आवश्यक शोधन-क्षमता अनुपात (गुना)		21.66		13.81
17	सकल एनपीए अनुपात				
	निवेश:	0.742%	0.742%	0.875%	0.875%
	फैक्टरिंग:	94.65%	94.65%	84.89%	84.89%

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के लिए इक्विटी होल्डिंग पैटर्न

1	(क) शेयरों की संख्या	319000000	319000000	280000000	280000000
	(ख) शेयरधारिता का प्रतिशत (भारतीय/विदेशी)	100%	100%	100%	100%
	(ग) % सरकारी होल्डिंग (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के मामले में)	100%	100%	100%	100%
2	(क) अवधि के लिए अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं (कर व्यय का शुद्ध) से पहले मूल और मन्दित ईपीएस (वार्षिक नहीं किया जाना है)	1.21	1.21	1.21	1.21
	(ख) अवधि के लिए अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं (कर व्यय का शुद्ध) से पहले मूल और मन्दित ईपीएस (वार्षिक नहीं किया जाना है)	1.21	1.21	1.21	1.21
3	प्रति शेयर बुक मूल्य (₹.)		200.75		198.15

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी , 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्ध पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है.